कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(43) परीक्षा क/प्राध्यापक– (स्कुल शिक्षा)/2012–13/237दिनांक 10.05.2016 के द्वारा प्राध्यापक (स्कुल शिक्षा) – **इतिहास** वेतन श्रृंखला पी.बी. 2 (9300–34800) ग्रेड वेतन–4800 के पद पर चयनोपरांत संलग्न सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक **इतिहास** (स्कुल शिक्षा) के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेश्नर ट्रेनी) के रूप मे नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कुल शिक्षा) – **इतिहास** के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता हैं। इन्हे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ1(12)डीओपी/ए–II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ 12(06)एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/03 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या–4988/2015, दिनेश चन्द टेलर एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा 78 अन्य रिट याचि काओं में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 22.09.2015 के विरूद्ध आयोग द्वारा दायर डी.बी सिवील स्पेशल अपील संख्या–1108/2015 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम दिनेश चन्द टेलर एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2015 के अध्याधीन रहेंगे।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओ पर कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगें।

1. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण प्रति से मिलानकर उसकी एक–एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखो मे सुरक्षित रखेगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करावें। सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल में ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख मे सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत है, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। 2. संबंधित जिला पुलिस–अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट मे कोई विपरीत टिप्पणी नही होने पर ही इन्हे कार्यग्रहण कराया जावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत है, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। 3. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06. 2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की सख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप मे 10/–रूपयें के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें। 4. राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओ की वैद्यता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष हैं। अतः जिन अभ्यर्थियों से द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियो से 1/–रूपयें के नोनज्युडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेगे। 5. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप मे यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा। 6. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियो को जारी प्रमाण पत्रो के संबंध मे निम्न बिन्दुओं की जांच किये जाने के उपरांत ही कार्यग्रहण की कार्यवाही करावें :–

(अ) प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे होना चाहिए एवं सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। उक्त प्रमाण पत्र परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से 6 माह पूर्व का होने पर नवीन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करावे।

(ब) उक्त प्रमाण पत्र माता एवं पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित हैं। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं आय के आधार पर प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो वह मान्य नहीं हैं।

इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 25/6/16 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाए सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाए समाप्त की जा सकेगी।

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/इतिहास/आरपीएससी–पदस्थापन/2013/ दिनांक :– 20/06/16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/ कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II)
5. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
6. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।/ निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक(कार्मिक)

शिविरा / माध्य / संस्था / सी–2 / इतिहास / आरपीएससी / 2013 आदेश सं.01

कसं	मेरिट कमांक एवं वर्ग	चयन का वर्ग	आशार्थी व पिता का नाम मय पता सर्वश्री / सुश्री / श्रीमती	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान (राउमावि / राबाउमावि)	देय नियत पारिश्रमिक सेवारत के लिये विधमान वेतन
1	M-138 GE,WE	GE,WE	श्रीमती कंचन शेखावत / श्रीविजेन्द्रसिंह शेखावत 513– भार्गव मौहल्ला गांगियासर तह0 मलसीसर –झुझूनु	20-10-1987	सिरोड़ी–सिरोही	नियत पारिश्रमिक

(बी.एल.स्वर्णकार)
आईएएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर